

नम्बर ब ता
अहकाम जो
हुक्म की ता
में जारी

पालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

आसीन अधिकारी:-श्रीमति टीना डावी, आई.ए.एस.

दमा नम्बर:-102/2019 प्रार्थना पत्र

उदा पिता मगना बलाई, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

चन्द्र पिता मगना बलाई, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----प्रार्थी

बनाम

श्री राजू पिता देबीलाल बलाई, उम्र बालिग निवासी मेघवंशी मोहल्ला, माहेश्वरी भवन के सामने,
शास्त्रीनगर-भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

श्री परसा पिता रामा बलाई, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

रामचन्द्र पिता मगना बलाई, उम्र बालिग निवासी हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

दिनांक:-24.5.2019

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व नियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम हलेड़ पटवार व हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 2179/2 रकबा 1 बीघा 05 व भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थी के खाते कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढ़ी किये का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 1.4.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर जरिये न विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1, 2, 3 व 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किये गये। विपक्षी संख्या 1, 2, व 4 उपस्थित नहीं। विपक्षीगण संख्या 1, 4 को कितनी ही मर्तवा विधिवत आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण क 6.5.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। विपक्षी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा पत्थर गढ़ी किये जाने बाबत कोई आपत्ति प्रकट नहीं करने के दिनांक 22.5.2019 को जवाब बंद किया गया।

वकील प्रार्थी ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थी की एक तरफा सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी को अपने खाते व कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल काटते सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण प्रार्थी अपने खाते एवं कब्जे की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आदेश ::


उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम हलेड़ पटवार हल्का हलेड़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल राजी नम्बर 2179/2 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू-अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 0/-रूपये (दो सौ पचास रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर स प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा वें।

(टीना डबी)

आई.ए.एस.

~~उपखण्ड अधिकारी~~

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 24.5.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

~~उपखण्ड अधिकारी~~

भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

